

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0, जयपुर

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/गुप-9/

दिनांक:-

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 9 के नियम 56 के तहत निम्न सहायक कृषि अधिकारी जो कि अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित दिनांक को सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम
1	श्री रामगोपाल शर्मा	10.04.1958	30.04.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) भीलवाडा
2	श्री राजेन्द्र सिंह राव	01.07.1958	30.06.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) झोटवाडा
3	श्री भवर सिंह शेखावत	05.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) झोटवाडा
4	श्री सुख लाल जाट	07.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) भीलवाडा
5	श्री सिराज मोहम्मद	09.08.1958	31.08.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) भीलवाडा
6	श्री उमर हैयात खां	09.09.1958	30.09.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) भीलवाडा
7	श्री शिवजी राम कुमावत	10.10.1958	30.10.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) झोटवाडा
8	श्री मोहम्मद रफी अंसारी	21.12.1958	31.12.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) भीलवाडा
9	श्री श्रवण लाल	15.01.1959	31.01.2019	सहायक निदेशक कृषि (वि0) झोटवाडा
10	श्री कृष्णगोपाल वैष्णव	26.01.1959	31.01.2019	सहायक निदेशक कृषि (वि0) भीलवाडा
11	श्री बालमुकन्द सैन	12.01.1959	31.01.2019	सहायक निदेशक कृषि (वि0) भीलवाडा
12	श्री सीताराम शर्मा	24.09.1959	28.02.2019	सहायक निदेशक कृषि (वि0) झोटवाडा



सेवानिवृत्त होने की दिनांक तक यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई जाच प्रकरण लम्बित हो जाता है या कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन हो जाती है तो उसकी सूचना तुरन्त आयुक्तालय को प्रेषित कर, जारी किये गये जाच बकाया नही के प्रमाण पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करें।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।

sd

(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

दिनांक:- 18-12-2017

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/गुप-9/4923-43

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) भीलवाडा/जयपुर
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद भीलवाडा/जयपुर।
3. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) भीलवाडा/झोटवाडा।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वैवसाइट को अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. निजी पंजिका।

sd

(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)